न्यायालयः अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (आव०वस्तु अधि०) बदायूँ।

सरकार बनाम रनवीर ।

सत्रवाद संख्या–1215/2022

धारा–138(1)(b) विद्युत अधिनियम

थाना– ए.पी.टी, जनपद बदायूँ।

नाम–. रनवीर आयु .54..वर्ष...पुत्र/पुत्री/पत्नी.गेंदन सिंह

निवासी–ग्राम खेड़ा पूर्वी .थाना–बिल्सी जिला–.बदायूँ पेशा–..खेती

प्र०नं० 1– क्या आप दिनांक 19.02.2020 को विद्युत विभाग की टीम द्वारा चैकिंग किये जाने पर आप बकाया विद्युत बिल के कारण पूर्व में विच्छेदित विद्युत संयोजन अनाधिकृत रूप से विद्युत तार के माध्यम से जोड़कर घर में विद्युत का उपभोग कर विद्युत चोरी करते हुए पाए गए ?

उत्तर–जी हॉ।

प्र०नं० 2– क्या आप स्वेच्छा से अपना जुर्म स्वीकार कर रहे हैं ?

उत्तर– जी हॉ।

प्र०नं० 3– क्या आपको कुछ और कहना है ?

उत्तर– जी नहीं।

सुनकर तस्दीक किया।

विशेष लोक अभियोजक (विद्युत) ने कथन किया है कि अभियुक्त ने गंभीर अपराध कारित किया है। अभियुक्त को अधिक से अधिक दंड से दंड़ित किया जाये।

मैंने अभियुक्त व विशेष लोक अभियोजक को सुना तथा मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अभियुक्त को निम्नलिखित दण्ड़ से दण्ड़ित किया जाना न्यायोचित पाता हूँ।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त रनवीर को धारा 138(1)(b) विद्युत अधिनियम के अंतर्गत कुल –3000/–रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त 10 दिन का साधारण कारावास भोगेगा। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

दिनांक 12.05.2026

(नुपुर)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (आवश्यक वस्तु अधि०),
जनपद– बदायूँ।